Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to exempt tractors from the orders of National Green Tribunal to close ten years old sub diseal vehicles in NCR.

डॉ. संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक आदेश आया था जिसके अनुसार नेशनल कैपिटल रीजन में दस साल पुराने सब डीजल व्हीकल्स बंद करने के आदेश हुए थे। एन.सी.आर. में हरियाणा, पश्चिम-उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बड़ा ग्रामीण इलाका आता है। यह करीब 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है। करीब एक लाख ट्रैक्टर जो दस साल पुराने थे, इस आदेश के मुताबिक बंद हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि या तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से नोटिफिकेशन हो, क्योंकि ये एक लाख के करीब ट्रैक्टर्स हैं और ट्रैक्टर की कोई उम्र नहीं होती। मेरे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे ट्रैक्टर्स हैं जो 50 साल पुराने हैं। मेरी उम्र 46 साल है। शायद 50 साल पुराने ट्रैक्टर्स भी आपको हरियाणा में चलती हुई हालत में मिल जाएंगे। किसान अपने पूरे जीवन में मात्र एक ट्रैक्टर ले सकता है। हरियाणा के सांसद भी यहां बैठे हैं। हम सबकी यह डिमांड है कि एक ट्रैक्टर को और जितने भी डीजल के इंजन हैं, वे किसान के काम आते हैं। **इस आदेश से बाहर किया जाए**, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

डॉ. किरिट पी. सोलंकी और

श्री नारणभाई काछड़िया को डॉ. संजीव बालियान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।